प्रति
24/12
28 DEC 2015

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :– प.10(8)आयु./2015 पार्ट 4 जयपुर दिनांक :–

–:: आदेश ::–

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, हाम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 (संशोधन 2013) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियो की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 1/2013 के विरूद्ध डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका सख्या 10398/2013 अजय फुलवारिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 13.08.2015 की पालना में प्राप्त एवं रिट संख्या 8638/2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2015 के अनुसार नरेश कुमार सिंघल को सामान्य वर्ग में कन्सीडर किये जाने एवं राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर संशोधित वरीयता सूची एवं आदेश दिनांक 05.12.2015 में प्रदत्त निर्देशानुसार, निम्नलिखित अभ्यर्थी को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर रनिंग पे–बैण्ड 15600–39100/– एवं ग्रेड पे 5400/– सख्या (15) में कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष के परिवीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय /औषधालय/चिकित्सा केन्द्रों में किया जाता हैं। इन आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को परिवीक्षा काल के दौरान नियमानुसार नियत पारिश्रमिक 22180/– (अक्षरे बाईस हजार एक सो अस्सी रूपये मात्र) मासिक दिया जावेगा –

Merit No.	S. No.	Candidate's Name	Father's Name	Date of Birth	Gender	Category	पदस्थापन स्थान
197	1	Naresh kumar Singhal	Suresh Chandra singhal	15-June-80	Male	GEN	राज आयु.औ. फरारा, राजसमन्द

1. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय की एस. बी. सिविल रिट संख्या 8638/15 के निर्णय दिनांक 03.09.2015 के अनुक्रम में की जा रही है।
2. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी को अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय मे दिनांक 05.01.2016 तक निश्चित रूप से देनी होगी।
3. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी की जन्म तिथि का सत्यापन एंव अन्य दस्तावेजों का प्रमाणिकरण मूल दस्तावेजों से करने के बाद संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी अभ्यर्थी के कार्यग्रहण कराने के आदेश जारी करे।
4. संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा इन्हें उपर्युक्तानसार निर्दिष्ट पदस्थापन स्थान पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
5. परीवीक्षाकाल में यदि राज्य सरकार की राय में उपर्युक्त चिकित्सकों का कार्य ,या आचरण सतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो राज्य सरकार इन्हें सेवा से विमुक्त कर सकेगी।
6. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को नियमानुसार पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, संतान संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र,

धुम्रपान निषेध प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा प्रथम नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्याधीन रहेगी।

8. जिन अभ्यर्थियों ने दस्तावेजों को सत्यापन निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर में करवाया है अथवा दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हुआ है उनको कार्यग्रहण करने से पूर्व दस्तावेज का सत्यापन करवाना एवं पूर्वाचरण रिपोर्ट एवं अन्य आवश्यक वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

आज्ञा से

(सेवा राम स्वामी)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर।
6. निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश में अंकित निदेशों की पूर्ति सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करें।
7. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर को देकर लेख है कि उक्तानुसार आपके विभाग के अधीन संचालित चिकित्सा केन्द्रों पर पदस्थापित आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की बैठक व अन्य आवश्यक व्यवस्था हेतु संबंधित को निर्देश प्रदान करने का श्रम करें।
8. संबंधित आयुर्वेद चिकित्साधिकारी मार्फत निदेशक आयुर्वेद।
9. रक्षित पत्रावली।

(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

कमांकः प.1(प्रति.1)आयु.चिकि.नियु/वि.सं.1.13/2015/21127-30 दिनांकः 29.12.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं राज्य–सरकार के आदेशों की पालनार्थ प्रेषित है :–

1. उप निदेशक, आयुर्वेद विभाग, उदयपुर ।
2. जिला आयुर्वेद अधिकारी, राजसमन्द ।
3. संबंधित अभ्यर्थी – द्वारा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष ।
4. सहायक प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
5. सामान्य पत्रावली।

(विनीता श्रीवास्तव)
निदेशक